

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 39—52

Dated 14-1-2012

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 10.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरी (विद्युत) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1999 को, जहां तक उसका संबंध हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल (जेनरेटर ऑपरेटर) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में इंजीनियरी/विद्युत के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, (इंजीनियरी/विद्युत) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.**—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए, पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, "शेष-I" से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :—

(i) कोड अक्षर शेष (एस.एच.ए.पी.ई.) जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्ता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण अर्थात् :—

एस — मनोवैज्ञानिक

एच — श्रवण शक्ति

ए — उपांग (अपैन्डेजेस)

पी — शारीरिक क्षमता

ई — दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे, सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-I, में है, वहां उसका प्रवर्ग एस, एच, ए, पी, ई, लिखने के बजाय शेष-I, लिखकर दर्शाया जा सकेगा है। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :—

(1) भारत में कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों को श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर रहते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(3) "एस" कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(4) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

5. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुआ प्रत्येक व्यक्ति इन नियमों के अधीन वर्दी पहनेगा और ऐसी नियुक्ति के ठीक बाद छह सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण करेगा ।

6. अधिवर्षिता.—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु यदि वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा सत्तावन वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त किए जाने पर उसे इससे अधिक सेवा का विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

7. निरहताएं—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

9. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कनिष्ठ इंजीनियर/ निरीक्षक (विद्युत)	47* (2011) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसूचित अर्थात् प्रोनत	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन अथवा अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोनत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

